S. No.	Name of State Govt/ U.T. Administration	Range of minimum rates of wages & date of last revision		Remarks
30.	Delhi	Rs. 74.50 (15.2.94)	p.d.*	Single rate for all employment.
31.	Lakshdweep	Rs. 41.46 (1.1.96)	p.d.	Single rate for all employment.
32.	Pondicherry	Rs. 19.25 to Rs. 40.20 (24.7.95)	p.d.	Rates for agricultural works.
II.	**CENTRAL GOVERNMENT*	Rs. 42.02 to * Rs. 75.40 (12.7.94)	p.d.	Rates vary from employment to employment (according to areas) Except agriculture.

NOTE: 1. * Indicates the provision of Variable Dearness Allowance alongwith minimum rates of wages, for some of the scheduled employments in the State.

2. Figure in bracket under column (2) indicate the date of revision for the last revised scheduled employment.

Welfare Measures for Agricultural Workers

695. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government would announce any specific programme of welfare measures for agricultural labourers;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to enact any legislation to help agricultural workers; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) There is no such proposal under consideration of the Government at present.

(c) and (d) Yes, Sir. The Government propose to enact a comprehensive legislation for agricultural workers to provide for regulation of employment and conditions of service and extend certain welfare measures to them.

महिला श्रमिकों की चिकित्सा जांच

696. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असंगठित महिला श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए कोई नयी योजना तैयार करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो महिला श्रमिकों को कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) श्रम मंत्रालय का श्रम कल्याण संगठन पूरे देश में स्थित 12 अस्पताल और 274 औषधालय चला रहा है जहां स्वास्थ्य जांच के लिए मूल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और कतिपय केन्द्रों में बीड़ी कर्मकारों, गैर-कोयला खान कर्मकारों के कुछ वर्गों, सिने कर्मकारों और उनके परिवारों के लिए विकिरण — चिकित्सा विज्ञान द्वारा जांच और परीक्षण की सुविधाएं हैं। इसमें भारी संख्या में असंगठित क्षेत्र की महिला कर्मकार शामिल हैं। महिला श्रमिक भी परिवार कल्याण विभाग के "प्रजन्न और बाल स्वास्थ्य" कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों

इत्यादि के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

देश में बेरोजगारी

697. **प्रो० रामबक्ष सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है,

(ग) यदि हां, तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है, और

(घ) उसके परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत तक बेरोजगारी की समस्या का हल होने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित नवीनतम श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 1987-88 के दौरान 12 मिलियन बेरोजगारी सामान्य मुख्य स्तर (यूपीएस) (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार 1993-94 के दौरान घट कर 9 मिलियन रह गई है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार व गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा श्रम सघन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास प्रक्रिया में स्वतः ही उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा।

अनुमान है कि यदि 2007 तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है तो रोजगार वृद्धि की दर 2.8 प्रतिशत वार्षिक रखनी होगी।

Guidelines for Wage Settlement

698. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the new guidelines issued to the Public Sector undertakings by the Department of Public Enterprises that wage settlement should now be for a period of ten years instead of the current practice of five years;

(b) if so, what are the details of the guidelines issued in this regard;

(c) whether the major central trade unions have opposed these guidelines; and

(d) if so, the details thereof and Government's response thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) Yes, sir. The Justice Mohan Committee has recommended that pay package and perquisites for officers and non-unionised supervisors, should be revised every 10 years instead of 5 years as has been the practice so far. The Government in their guidelines for the policy to be adopted for the Sixth round of wage negotiations in the Public sector enterprises have stated that in the event of the Government accepting the above recommendations, the revision of wages of the workers should be effected once in 10 years in order to ensure uniformity.

(c) No representation has been received so far from any major central trade union opposing recommendation of the Mohan Committee.

(d) Does not arise.

National wage Structure for Workers in Sugar Industry

699. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to set up a sub committee for deciding the national wage structure for workers in the sugar industry;

(b) if so, the criteria for selecting the members of the said committee, and

(c) the names of the members along with their affiliation, if the committee is already constituted?